

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 832

दिनांक 04/04/2024

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भोमाराम वगैरा	बनाम	अखूदेवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 106/2023

दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा केरनाडा के खेत खसरा सं. 580/390 रकबा 03.0028 हैक्टर एवं मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा सं. 474/409 रकबा 01.3516 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।

प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 833 to 836

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण भोमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अखूदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

—scr
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 04/04/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन